प्रेस नोट

श्री राजकुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन के निर्देशन में विगत 10 वर्षों में गौकशी/गौतस्करी के अपराधों में संलिप्त अपराधियों के सत्यापन/कार्यवाही का अभियान चलाया गया।

बरेली जोन के जनपदों में गौकशी/गौतस्करी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन द्वारा बरेली जोन के समस्त 09 जनपदों में विगत 10 वर्षों में गौकशी/गौतस्करी कें अपराधो में संलिप्त अपराधियों के सत्यापन हेतु अभियान चलाया गया। उक्त अभियान के अन्तर्गत बरेली जोन के जनपदों में **22,397 अपराधियों को चिन्हित कर उनका सत्यापन** कराया गया, जिसका जनपदवार विवरण निम्नवत है:–

जनपद	विगत 10 वर्षों में गौकशी के अपराधों में संलिप्त रहे अपराधियों की संख्या	सत्यापन कराये गये अपराधियों की संख्या	वर्तमान स्थिति				सत्यापन हेतु शेष अपराधियों की संख्या
			जेल	मौजूदा	लापता	मृत	
बरेली	4142	3945	405	3456	69	15	197
बदायूँ	2898	2442	71	2034	271	66	456
पीलीभीत	2286	2286	181	1969	72	64	0
शाहजहॉपुर	1861	1098	39	859	193	7	763
मुरादाबाद	1613	1338	56	1230	52	0	275
बिजनौर	1692	1526	92	1006	419	9	166
रामपुर	3019	2937	252	2558	89	33	82
अमरोहा	1878	1831	157	1603	71	0	47
सम्भल	3008	2733	244	2076	405	8	275
योग जोन	**22397**	**20136**	**1497**	**16791**	**1641**	**202**	**2261**

सत्यापन के पश्चात जो अपराधी घर पर मौजूद है तथा किसी प्रकार के अपराध में लिप्त नही है उनकी सम्बन्धित थाना प्रभारी द्वारा काउंसलिंग करायी जा रही है।

वर्ष 2022 में अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन के निर्देशन में गौकशी/गौतस्करी के अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध बरेली जोन के जनपदों में प्रभावी कार्यवाही की गयी, जिसका जनपदवार विवरण निम्नवत हैः–

जनपद	वर्ष 2022 में कृत कार्यवाही का विवरण					
	गुण्डा	गैंगस्टर	एनएसए	गैंग पंजीकरण	खोली गयी हिस्ट्रीशीट	14(1) गैंगस्टर एक्ट में सम्पत्ति जब्तीकरण
बरेली	211	169	0	4	24	30,00,000
बदायूँ	146	51	0	20	27	75,55,751
पीलीभीत	141	150	0	7	82	4,65,75,436
शाहजहॉपुर	35	36	0	1	35	0
मुरादाबाद	71	66	0	5	45	63,26,373
बिजनौर	83	117	0	6	142	3,18,38,840
रामपुर	97	135	0	2	63	1,56,76,900
अमरोहा	89	97	2	1	57	74,04,220
सम्भल	102	91	0	8	14	1,19,39,700
योग जोन	**975**	**912**	**2**	**54**	**489**	**13,03,17,220**

बरेली जोन के जनपदों में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जहॉ पर गौकशी/गौतस्करी की घटनायें ज्यादा होती है। ऐसे स्थानो को हॉटस्पॉट (HOT SPOT) मानते हुये पुलिस पिकेटिंग की प्रभावी व्यवस्था एवं सत्त निगरानी रखी जा रही है।